रांची में, मंगलवार दिनांक 28 नवम्बर, 2017 को अपराह्न 04:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। माननीय मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। सभी मंत्रीगण उपस्थित थे।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :—

भवन निर्माण विभाग

1.	गुरूद्वारा बंगला साहिब लेन, नई दिल्ली में नये झारखण्ड भवन के निर्माण कार्य की कुल लागत राशि रु0 84,26,09,600/— (चौरासी करोड़ छब्बीस लाख नौ हजार छः सौ) की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।	**स्वीकृत।**

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

2.	खासमहाल भूमि की लीज बन्दोबस्ती/लीज नवीकरण के क्रम में लीज रेन्ट की वृद्धि एवं भूमि के पुनग्रहण नीति से संबंधित विभागीय संकल्प संख्या—1239/रा, दिनांक 29.03.2016 में संशोधन करने के संबंध में।	**इस शर्त्त के साथ प्रस्ताव स्वीकृत कि मृत लीजधारी का अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन पर अनुमण्डलाधिकारी द्वारा सत्यापित वंशावली के आधार पर उत्तराधिकारी मानते हुए Indemnity Bond (क्षतिपूर्ति बंधपत्र)/ शपथ पत्र के साथ मृत लीजधारी के वंशजों से लीज नवीकरण का आवेदन पत्र प्राप्त कर लीज नवीकरण किया जा सकेगा।**

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

3.	राज्य के 16 TSP काराओं में संसीमित सभी बंदियों का माननीय न्यायालय में उपस्थापन (Production) एवं विचारण (Trial) Video Conferencing के माध्यम से किए जाने संबंधी योजना के क्रियान्वयन हेतु Video Conferencing इकाई के अधिष्ठापन के लिए कुल रु0 47,69,37,468/— (सैंतालीस करोड़ उनहत्तर लाख सैंतीस हजार चार सौ अड़सठ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।	**स्वीकृत।**

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

4. राज्य के 13 OSP काराओं में संसीमित सभी बंदियों का माननीय न्यायालय में उपस्थापन (Production) एवं विचारण (Trial) Video Conferencing के माध्यम से किए जाने संबंधी योजना के क्रियान्वयन हेतु Video Conferencing इकाई के अधिष्ठापन के लिए कुल रु0 45,43,69,433/– (पैंतालीस करोड़ तैंतालीस लाख उनहत्तर हजार चार सौ तैंतीस) मात्र को प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। **स्वीकृत।**

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

5. श्रावणी मेला, दुर्गा पूजा, सामान्य विधि व्यवस्था संधारण इत्यादि के लिये विधि व्यवस्था मद में आवंटन हेतु झारखण्ड आकस्मिकता निधि से कुल रु0 6,00,00,000/– (छः करोड़) मात्र अग्रिम के रूप में स्वीकृत करने के संबंध में। **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

6. टाटा–आदित्यपुर स्टेशन के बीच वर्त्तमान कि0मी0 251/13–15 में लेवल क्रासिंग सं0–141 के स्थान पर कि0मी0 251/13–15 में पथ उपरी पुल (ROB) के निर्माण कार्य हेतु रु0 29,99,50,164/– (उनतीस करोड़ निन्यानवे लाख पचास हजार एक सौ चौंसठ) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्यांश की राशि रु018,61,21,677/– (अट्ठारह करोड़ एकसठ लाख इक्कीस हजार छः सौ सतहतर) मात्र में रेलवे portion में ROB के कार्यान्वयन हेतु रु0 37,13,437/– की राशि एवं रेलवे द्वारा राज्य सरकार को रेलवे द्वारा transfer किए जाने वाले भूमि की राशि हेतु रु0 7,22,93,190/– हेतु यानि कुल रु0 7,60,06,627/– (सात करोड़ साठ लाख छः हजार छः सौ सत्ताईस) मात्र की राशि की अग्रिम निकासी कर रेलवे मंत्रालय को उपलब्ध कराने हेतु एवं शेष राशि राज्य सरकार द्वारा approaches के निर्माण हेतु स्वीकृति के संबंध में। **स्वीकृत।**

विधि विभाग

7. 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य के सभी 24 जिलों में जिला न्यायाधीश स्तर के 24 अस्थायी अतिरिक्त न्यायालय एवं खूँटी, रामगढ़ एवं सिमडेगा जिलों में प्रधान न्यायाधीश स्तर के कुटुम्ब न्यायालय के गठन के संबंध में। **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

8. झारखण्ड राज्य के बी०पी०एल० परिवारों एवं 72 हजार रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों के सदस्यो को निःशुल्क डायग्नोस्टिक जाँच (पैथोलॉजी एवं रेडियोलॉजी) की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु "मुख्यमंत्री निःशुल्क डायग्नोस्टिक जाँच योजना" की स्वीकृति हेतु निर्गत संकल्प संख्या–1028(6) स्वा०, दिनांक 23.11.2015 की कंडिका–3 (i) (क) में संशोधन की स्वीकृति के संबंध म। **स्वीकृत।**

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

9. खरीफ विपणन मौसम 2017–18 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की अधिप्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसानों को रुपये 150.00 प्रति क्विंटल की दर से बोनस की राशि की स्वीकृति एवं इस मद हेतु कुल रुपये 52.00 करोड़ राशि की स्वीकृति के संबंध में। **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

10. उत्तर कोयल परियोजना के अवशेष कार्यों का केन्द्र सरकार के निर्णयों के आधार पर कार्यान्वयन हेतु तीन अदद् एकरारनामों के प्रारूप पर झारखण्ड राज्य की सहमति संसूचित करने की संबंध में। **स्वीकृत।**

ह0/–
(राजबाला वर्मा)
मुख्य सचिव,
झारखण्ड